"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 678] नवा रायपुर, सोमवार, दिनांक 25 अगस्त 2025 — भाद्र 3, शक 1947

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 25 अगस्त 2025

क्र. 5994/डी. 126/21—अ/प्रारू./छ.ग./25. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 14—08—2025 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल सिन्हा, उप—सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 21 सन् 2025)

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) अधिनियम, 2025.

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्र. 13 सन् 2005) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) अधिनियम, 2025 कहलायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा।

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

अनुसूची का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्र. 13 सन् 2005) की धारा 9 की उप–धारा (1) के अंतर्गत निर्मित अनुसूची में, सरल क्रमांक 19 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रमांक एवं उससे संबंधित प्रविष्टियाँ जोड़ा जाये, अर्थात् :–

सू. क्र.	निजी विश्वविद्यालय का नाम	प्रायोजक निकाय का नाम	प्रायोजक निकाय की स्थापना की प्रक्रिया	मुख्य परिसर (मुख्यालय)	क्षेत्राधिकार	शिक्षण कार्यक्रम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"20.	कृष्णा विकास यूनिवर्सिटी, रायपुर	जी.डी. आर. फाउंडेशन	छत्तीसगढ़ सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1973 (क्र. 44 सन् 1973) के अधीन पंजीकृत सोसायटी, पंजीयन	वीर सावरकर नगर, नियर, नंदनवन, अटारी, रायपुर (छ.ग.)	छत्तीसगढ़	• अभियांत्रिकी / प्राद्योगिकी / वास्तु शिल्प / डिजाइन • विज्ञान • व्यवसाय प्रशासन / वाणिज्य / प्रबंधन / वित्त • आर्ट्स / ह्यूमानिटिज / सोशल साइंस • फार्मेसी / फार्मास्यूटिकल • विधि (लॉ)

			क्रमांक 2279 दिनांक 27.11.2008			• एजुकेशन/टीचर्स ट्रेनिंग • पत्रकारिता/जन सम्प्रेषण/मीडिया • लाइब्रेरी एंड इनफार्मेशन साइंस • फाइन आर्ट/परफार्मिंग आर्ट/विसुअल आर्ट/ एप्लाईड आर्ट • होटल प्रबंधन/अतिथि सत्कार/पर्यटन/यात्रा • पुनर्वास विज्ञान में पत्रोपाधि, स्नातक, स्नातकोत्तर उपाधि एवं उनके समेकित पाठ्यक्रम, एम.फिल., पीएच.डी. और अन्य अनुसंधान स्तरीय केवल नियमित पाठ्यक्रम"

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 25 अगस्त 2025

क्र. 5994/डी. 126/21–अ/प्रारू./छ.ग./25. – भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) अधिनियम, 2025 (क्रमांक 21 सन् 2025) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल सिन्हा, उप–सचिव.

CHHATTISGARH ACT

(No. 21 of 2025)

THE CHHATTISGARH PRIVATE UNIVERSITIES (ESTABLISHMENT AND OPERATION) (AMENDMENT) ACT, 2025.

An Act to further amend the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy Sixth Year of the Republic of India, as follows :-

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) (Amendment) Act, 2025.

(2) It extends to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of Schedule.

2. In the Schedule made under sub-section (1) of Section 9 of the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005), after serial number 19 and entries relating thereto, the following number and entries relating thereto shall be added, namely:-

S.No.	Name of the Private University	Name of the Sponsoring Body	Procedure of Establishment of the Sponsoring body	Main Campus (Head Quarters)	Jurisdiction	Teaching Programmes
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"20.	Krishna Vikas Global University, Raipur	G.D.R. Foundation (C.G.)	Society Registered under Chhattisgarh Societies	Krishna Vikash Education Campus,	Chhattisgarh	Diploma, Under Graduate, Post Graduate Degree and their integrated Courses, Ph.D. and other Research level courses, only Regular Courses in-

			Registration Act, 1973 (No. 44 of 1973) Registration No. 2279 Dated 27.11.2008	Ward No. 1, Veer Savarkar Nagar, Near Nandan Van, Raipur (C.G.)-492009		• Engineering/Technology/ Architecture/Design • Sciences • Business Administration/Commerce/ Management/ Finance • Arts/Humanities/Social Sciences • Pharmacy/Pharmaceutical • Law • Education/Teachers Training • Journalism/Mass Communication/Media • Library and Information Sciences • Fine Art /Performing Art/Visual Art/Applied Art • Hotel Management/Hospitality/ Tourism/Travel • Rehabilitation Science

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2025.